

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प. 21(19)शिक्षा-1 / प्राशि. / 2009

जयपुर, दिनांक ०५ - ०६ - २०१२

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : आश्रम केयर होम/अनाथ आश्रम में निवास कर रहे बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राज्य नियम 2011 की अनुपालना में विभाग द्वारा निजी संस्थाओं में 25 प्रतिशत सीमा तक समाज के कमज़ोर घर्ग/असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार इन बालकों को अपने आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, निवास, जाति एवं आय सम्बन्धी जानवारी के प्रभाण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों के रूप में संलग्न करने होते हैं।

कठिपय संस्थाओं द्वारा ध्यान में लाया गया है कि ऐसे अनाथ, बालक जो किसी अनाथ आश्रम/केयर होम में रह रहे हैं, उनके लिये निवास, आय, जाति व जन्म दिनांक प्रभाण पत्र उपलब्ध करवाना व्यावहारिक रूप से अत्यन्त कठिन होता है।

ग्रन्थरण का इच्छ्य स्तर पर यही धर्मीकरण किया गया तथा यह अनुभव किया गया कि यदि समाज की भुख्य धारा से अलग इस प्रकार से बालकों को यदि वांछित प्रभाण पत्रों के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित होना पड़ता है तो यह आरटीई अधिनियम की भावना के विपरीत होगा।

अतः ऐसे बालकों के प्रमाणीकरण तथा निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. यदि विसी पंजीकृत संस्था जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा पंजीकृत हो, के माध्यम से इस प्रकार के आवेदन प्राप्त होते हैं तो सम्बन्धित विद्यालय उन्हें प्रवेश के लिये पंजीकृत कर लें तथा इनकी सूचना तत्काल शिक्षा विभाग के अधिकारी यथा बनाव शिक्षा अधिकारी/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को देवे।
2. सम्बन्धित अधिकारी विद्यालय से सूचना प्राप्त होते ही अधिलम्ब ऐसे प्रकरणों का अनाथ आश्रम में किसी दल को भेजकर तथ्यों का सत्यापन करावे तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित केयर होम/अनाथ आश्रम सामाजिक न्याय एवं अधिवगरिता विभाग/राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा पंजीकृत हो।
3. उपरोक्त सत्यापन सही पाये जाने पर इन बालकों के संदर्भ में केयर होम/अनाथ आश्रम के अधीकारक से बालक की जन्म तिथि, जाति, निवास एवं आदि के बारे में शपथ पत्र प्राप्त कर ले। इस शपथ पत्र को ही आधार मानकर ऐसे बालकों को विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित करावे।
4. यदि ऐसे बालक का प्रवेश निजी विद्यालय की 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों पर सामान्य लॉटरी प्रक्रिया से नहीं होता है तो इन बालकों को सामान्य प्रवेश प्रक्रिया से अलग हटकर अतिरिक्त सीटों का आवंटन मानते हुए विद्यालय में प्रवेश दिया जावे।

प्रभुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./निःशुल्क/18885/12-13/५३०

दिनांक:-२२/८/१२

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव/प्रभुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त उप निदेशक, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा।
7. कार्यालय प्रति।

उपनिदेशक (आर.टी.ई.)